



Sl. No. 6028 / 2020

सहा नोटरी, श्री **LAXMI NARAYAN SAHU**
(NOTARY)
Distt. Gumla

अधिवक्ता, गुमला ।

श प थ - प त्र

हमलोग :- ॥1॥ जसवीर सिंह ॥2॥ हरजीत सिंह कलदान रोजत सिंह क्रमशः 33 वर्ष एवं 32 वर्ष निवासी पंजाबी गली बाजार टांड गुमला थाना व जिला- गुमला ॥ झारखण्ड ॥ हलफन ध्यान करते हैं कि :-

॥1॥ यह कि हमलोग उपरोक्त पता का स्थायी निवासी हूँ ।

॥2॥ यह कि मेरा छतियानी / खरीदनी जमीन ^{गली} पंजाबी / गुमला थाना व जिला- गुमला थाना नं० 59 जिला गुमला अंदर छाता नं० - 392 प्लॉट नं० 315 रकबा 0.06 एकड़ जमीन अवस्थित है । जिसपर साल व साल मालगुजारी रसीद काटाकर शांति पूर्वक कब्जा में है जिसपर हमलोग नक्शा के आधार पर मकान बनवाना चाहता हूँ ।

यह कि गुमला नगर परिषद् गुमला के ब्लॉक नं० 427 ॥3॥ झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के तहत सड़क चौड़ीकरण हेतु - 25.51 एम एल जमीन छोड़कर मकान का बहारदीवारी बनाऊंगा ।

① जसवीर सिंह

② हरजीत सिंह

सत्यापन

हमलोग :- जसवीर सिंह व हरजीत सिंह हलफन ध्यान करते हैं कि उपरोक्त दिष्ट गए सभी ध्यान हमलोगों की जानकारी में सत्य सही वो दुरुस्त है, मोकाम गुमला आज दिनांक - 14.10.20 को हस्ताक्षरीत एवं सत्यापित ।

क्र. सं. 6028 / 2020 शपथ कर्ता - ① जसवीर सिंह

② हरजीत सिंह

पहचान कर्ता -
P. K. Sinha
Advocate
14.10.2020

अधिवक्ता, गुमला ।

LAXMI NARAYAN SAHU
(NOTARY)
Distt. Gumla

नोटरी, जिला- गुमला ।

Notary Section-5
of the Notaries Act, 1952
(Act. No. 53 of 1952)
Along with Notaries Rules 1958